

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक...../

दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 31 / 07 / 2026

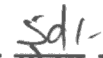
माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/4675 /तीन-6-5/2010 जबलपुर दिनांक 29.07.2026 के आलोक में मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-8 की उपधारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 448/दो-1-1/2000 दिनांक 22.07.2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

01. सरल क्रमांक-22 के स्तम्भ क्रमांक-2 श्री मनोज तिवारी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज एवं सरल क्रमांक 23 स्तम्भ क्रमांक 2 श्री विवेक बुखारिया द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज में संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित/ निर्मित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
22	श्री मनोज तिवारी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/ नईगढ़ी का क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ एवं वरिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें । 3. थाना शाहपुर, लौर, नईगढ़ी एवं हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र 4. मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट, 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें । 5. प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण 6. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 7. लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्यधारी बेदखली अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें (धारा 9 द्वारा अधिकृत) ।

			8. भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2023 एवं भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। 9. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण।
		सत्र खण्ड	1. यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2. थाना हनुमना/लौर/नईगढ़ी/शाहपुर अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपापित किये जाते हैं। 3. हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण। 4. थाना हनुमना/लौर/शाहपुर क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र। 5. सिविल जिला रीवा के मऊगंज क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 6. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा-52 के तहत उत्पन्न प्रकरण।
23	श्री विवेक बुखारिया द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/ नईगढ़ी का क्षेत्र	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड	1. यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2. मऊगंज में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण। 3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मऊगंज क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही।

शेष आदेश यथावत रहेगा।


(राकेश मोहन प्रधान)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

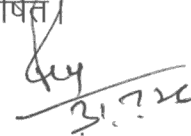
पृष्ठांकन क्रमांक.....3789 /

रीवा, दिनांक 21/07/2026

दो-1-1/2000

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ मउगंज।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)